

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)****अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)****यूआईडी संख्या : UPFS/2025/167721/MAU/MAU/1047/CFO****दिनांक : 02-08-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **JDSR INTERNATIONAL SCHOOL** पता **22 B and 56, LADDUPUR, SIPAH IBRAHIMABAD,, mau** तहसील - **MADHUBAN** प्लॉट एरिया **8258.69 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **884.62** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
JDSR INTERNATIONAL SCHOOL	1	0	3.65 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **JDSR INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **03-08-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **JAIBHAN YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-08-2025** से **02-08-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **JDSR INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **JDSR INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** 1-भवन में ढाँचागत परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

2-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा।

3-विद्धुत विभाग से विद्धुत ऑडिट कराकर विद्धुत प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4-प्रति वर्ष विहित फ्रीस लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरांत अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्नि शमन यंत्रों का शोधन करा कर फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**KINTY VERMA**

6EB179467CD23F56B05A4E3932B6A192613FA346

03-08-2025

**निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-08-2025****स्थान : MAU**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.